मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 632 / 465 भोपाल, दिनांक 23 / 03 / 2020

प्रति,

1. संयुक्त / उप संचालक
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)

2. कार्यपालन यंत्री
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   तकनीकी संभाग .... (समस्त)

3. भारसाधक अधिकारी / सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति
   .... जिला .... (समस्त)

विषय :– नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) की रोकथाम के लिये आवश्यक निरोधक उपाय बावत्।

संदर्भः– अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक / 38(बी) / एसीएस / जीएडी / 2020 दिनांक 22.03.2020

संदर्भित पत्र द्वारा राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयो एवं शासकीय संस्थाओ में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है। जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। उक्त पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक–463 दिनांक 20.03.2020 को अधिक्रमित करते हुये म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयो एवं तकनीकी कार्यालयो के लिये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयो एवं तकनीकी कार्यालयो में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये कर्तव्य अवधि माना जाएगा।

Scanned by TapScanner

3. यह आदेश उन अधिकारियो / कर्मचारियो पर लागू नही होगा अथवा उस सीमा तक लागू नही होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर है।

4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा।

5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियो/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय/कार्यालयीन कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाईन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे। म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के समस्त अधिकारी/कर्मचारी उक्त अवधि में अपना निर्धारित मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे।

6. म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय एवं तकनीकी कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी का विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिये कार्यालय में आकर कार्य करना अनिवार्य होता है तो उसके लिये कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

राज्य शासन द्वारा समस्त जिला कलेक्टरो को इस संबंध में अपने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियो का आकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में समुचित निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इसके अनुक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा विषयांतर्गत लिये गये निर्णय उस जिले की समस्त कृषि उपज मंडी समितियो पर लागू होंगे। यदि इस संबंध में कोई मार्गदर्शन की स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिये अपर संचालक (नियमन) से संपर्क किया जाये।

यह आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियो के आधार पर राज्य शासन द्वारा पुनः परीक्षण जो आगामी निर्णय लिया जायेगा उसके अनुरूप म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्तर से समुचित निर्देश जारी किये जायेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

12.3.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by TapScanner

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 632 / 466 भोपाल, दिनांक 23 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव म.प. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. समस्त अपर संचालक / संयुक्त संचालक / अधीक्षण यंत्री / उप संचालक / कार्यपालन यंत्री एवं अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।
5. सूचना पटल मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

23.3.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by TapScanner

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक /38(B)/ACS/GAD/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020 भोपाल दिनांक 22.03.2020

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त विभाग प्रमुख
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश

विषय : नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 38 दिनांक 19 मार्च 2020 को अधिक्रमित करते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है –

1. मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
2. दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।
3. यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं।
4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा।
5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
6. यह आदेश, प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे – स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुडा अमला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।

7. यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. समस्त विभाग इस सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों/शासकीय संस्थाओं के लिए अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा–निर्देश तत्काल जारी करेंगे।
9. समस्त जिला कलेक्टर्स इस सम्बन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे।
10. यह आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

22/03/2020

(के.के. सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक/38(B)/ACS/GAD/ए.सी.एस./जी.ए.डी./2020 भोपाल दिनांक 22.03.2020

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव,/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल।
7. अपर सचिव, सा.प्र.वि. 7(1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

22/03/2020

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग